ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सेक्टर–नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नौएडा सिटी, ग्रेटर नौएडा–201310, जिला–गौतमबुद्ध नगर
वेबसाईट–www.greaternoidaauthority.in, ई–मेल– authority@gnida.in

दिनांक–17.06.2021

प्रेस–विज्ञप्ति

1. **ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औघोगिक भूखण्ड हेतु 06 भूखण्डों की योजना लाये जाने के सम्बन्ध में:–**
2. **उपरोक्त योजना के अन्तर्गत औघोगिक विकास प्राधिकरण के आवंटन हेतु फास्ट ट्रेक/डायरेक्ट आवंटन प्रकिया तथा निवेश मित्रा के माध्यम से आनलाईन आवंटन प्रकिया के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन कर आवंटन प्राप्त किये जाने विषयक–**

अवगत कराना है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रृखला को आगे बढाने की दिशा में ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औधोगिक भूखण्ड के आवंटन की योजना लायी जा रही है।

- औधोगिक भूखण्ड **हेतु आवंटन की योजना का ब्रोशर, नियम व शर्तें, भूखण्डों की सूची एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की बेवसाईट www.greaternoidaauthority.in एवं www.niveshmitra.up.nic.in पर दिनांक 18.06.2021 से उपलब्ध है, आवदको द्वारा निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर आवेदन किया जा सकता है।**
- **उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 18.06.2021 से दिनांक 02.07.2021 तक www.niveshmitra.up.nic.in पर आनलाईन/फास्टट्रेक प्रकिया द्वारा आवेदन किया जा सकता है। दिनांक 02.07.2021 तक** औधोगिक **भूखण्ड आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पत्रों का निर्धारित परीक्षण एवं मूल्यांकन के उपरान्त जुलाई, 2021 में आवंटन प्रकिया को पूर्ण कर आवंटन किया जायेगा।**
- ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औघोगिक प्रायोजन हेतु आवंटन हेतु चिन्हित सैक्टरों में औधोगिक ईकाइयों की स्थापना हेतु निम्नवत् 06 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है:–

क्र. सं	भूखण्ड संख्या	सैक्टर	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	भूखण्ड का क्षेत्रफल एकड में
1.	91ए	इकाटेक–10	40470	10
2.	91बी	"	40470	10
3.	92	"	80940	20
4.	93	"	52611	13
5.	94	"	6070.5	1.5
6.	95	"	80940	20

उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों/रिक्तियों की संख्या घट एवं बढ सकती है।

उक्त योजना के अन्तर्गत औघोगिक भूखण्ड आवंटन हेतु दो निम्न विकल्पों के माध्यम से आवेदक आवेदन कर आवंटन प्राप्त कर सकते है–

1. **फास्ट ट्रेक/डायरेक्ट आवंटन प्रक्रिया–**

अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–06 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1884/77–6–20–एल.सी.32/15टीसी–2 दिनांक–20.07.2020, शासनादेश संख्याः–2062/77–6–20–एल.सी.32/15टीसी–2, दिनांक–07.08.2020 एवं शासनादेश संख्याः–2800/77–6–20–एल.सी.32/15टीसी–2 दिनांक–29.09.2020 के अनुपालन के क्रम में जिन ईकाईयों का कुल निवेश रू0 200 करोड के ऊपर है अर्थात उ0प्र0शासन के द्वारा घोषित औधोगिक नीति–2017 के अन्तर्गत मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा श्रेणी में है तो वे अपना निवेश हेतु प्रस्ताव तथा भूमि आवंटन हेतु अनुरोध अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, INVEST UP, 12-C, Mall Avenue, Lucknow-226001 (U.P.) **(info@udyogbandhu.com)** तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष सीधे कर सकते है।

उ0प्र0शासन/INVEST UP द्वारा उनके निवेश का प्रस्ताव का Comfort Letter प्राधिकरण में प्राप्त होने पर तथा उनके द्वारा भू–आवंटन हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अन्दर रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड का आवंटन निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे (Direct Allotment) योजना ब्रोशर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन किया जाएगा। भूखण्ड पर रू0 7.00 करोड प्रति एकड निवेश करना अनिवार्य होगा।

2. **निवेश मित्रा के माध्यम से आनलाईन आवंटन प्रक्रिया–**

उक्त योजना के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाईन **www.niveshmitra.up.nic.in** एवं प्राधिकरण की बेबसाईट www.greater noidaauthority.in पर आवेदन कर सकते है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ब्रोशर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन किया जाएगा। भूखण्ड पर रू0 7.00 करोड प्रति एकड निवेश करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त रिक्त भूखण्डों की सूचना ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आधिकारिक बेबसाईट www.greaternoidaauthority.in तथा GIS प्लेटफार्म पर नीले रंग से दर्शित है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी)